10/02/2025 आज पत्रावली पेश

हुई। उभय पक्षकारान के वकील उपस्थित हैं। अंतरिम आर्डर निषेधाज्ञा बाबत बहस सुनी गई।

वकील वादी का कथन रहा कि विवादित आराजी का वादी एवं प्रतिवादीगण ने काफी अरसे पूर्व जबानी बंटवारा कर लिया था। उक्त बंटवारे के आधार पर ही दोनों पक्ष अपने-अपने हिस्से को काश्त कर रहे हैं। प्रार्थी के हिस्से पर आई आराजी जो कि पूर्व में ऊबड़-खाबड़ थी को प्रार्थी ने अपने खर्चे से समतल की है एवं उस पर रिहायशी मकान व बोरिंग का निर्माण किया हुआ है। तथा निरन्तर आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। दिनांक 05/02/2? को अप्रार्थी संख्या 01 धीमर लोगों के साथ खराब होकर आया और प्रार्थी के हिस्से आयी आराजी पर कब्जा करने का प्रयास किया।

सही

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	प्रार्थी का विवाद केवल महेन्द्र से है बाकी प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण से कोई विवाद नहीं है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा वापिस ली जाकर मूल वाद संपूर्ण कर दी जावे। वकील अप्रार्थी सं० 01 (वकील प्रतिवादी संख्या 01) का कथन रहा कि आराजी का बटवारा हो चुका है। यह कथन असत्य है क्योंकि प्रार्थनापत्र में सारी कहानी मिथ्या व मनगढंत है। प्रार्थी का उद्देश्य बंटवारा कराना नहीं है। बल्कि झूठे तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी सं० 1 के विरुद्ध अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर उसे परेशान करना है। अप्रार्थी सं० 1 को कानूनी रूप से उसके हिस्से की आराजी को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विक्रय करने KCC इत्यादि बनवा लेने एवं समुचित रूप से उपयोग - उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है जिससे अप्रार्थी सं० 1 को

...क कलक्टर (फा...)
...ऑफिसर (खैरथल-तिजारा)

वंचित रखना कानून एवं न्याय के भावना के प्रतिकूल है। अतः अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त कर दी जावे।

सुने उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को निरन्तर जारी रखने का वकील प्रार्थी कोई समीचीन कारण नहीं बता पाये हैं। जबकि वकील अप्रार्थी सं० 1 के कथन में तार्किकता है कि उसे अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रखा जाकर आराजी के विक्रय करने एवं अन्य प्रकार के ऋण KCC इत्यादि से रोके जाना उसके अधिकारों का हनन है, इसके अतिरिक्त स्वयं प्रार्थी ने स्वीकार किया है कि उभयपक्ष अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त हैं।

अतः इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13-5-24

(हस्ताक्षर)

सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

को निरस्त करना यह न्यायालय उचित एवं विधिसम्मत समझता है। इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 13-05-2024 निरस्त की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील संलग्न मूल बद्ध रहे।

आदेश आज दिनांक 10/02/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सही

सहायक कलक्टर (फा०ट्रै०)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

श्रीम

2.

3.

है
त
1